न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, राजस्थान

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/152/2021	2021/301	28.09.2021	29.07.2024

1. अशोक कुमार सैनी पुत्र रूपनारायण सैनी, जाति माली, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग, पॉस कोड 17829, पृथ्वीपुरा, ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर राज0।

—रैस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 22.07.2021 जिला रसद अधिकारी, अलवर जिनके द्वारा प्रकरण सं0 20/2017, 03/2021

उपस्थितः—
01—श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलांट
02—विभागीय पैरोकार —रैस्पो0

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

—:निर्णय:—

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 22.07.2021 जिसके जरिये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया, पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 22.07.2021 को प्रकरण सं0 20/2022, 03/2021 बअनुवान सरकार बनाम अशोक कुमार सैनी में यह निर्णय पारित किया है कि अप्रार्थी अशोक कुमार सैनी, पॉस कोड 17829, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा, तह0 मालाखेड़ा, जिला अलवर का जारी प्राधिकार पत्र संख्या 932/1998 को समस्त देनदारियां लम्बित रखते हुए निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी की जमा समस्त प्रतिभूमित राशि जप्त सरकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। जिससे व्यथित होकर यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट विरूद्व जांच रिपोर्ट दिनांक 11.11.2017 के आधार पर विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 12.11.2017 जारी किया जाकर कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.12.2017 जारी किया गया, जिसका विस्तृत जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 04.01.2018 को मातहत अधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जिसके उपरान्त दिनांक 06.07.2018 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया। अपीलान्ट की उचित दुकान की बावत जांच रिपोर्ट दिनांक 05.01.2021 के आधार पर विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 13.01.2021 को निलंबित किया जाकर कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.02.2021 जारी किया गया, जिसका विस्तृत जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09.02.2021 को मातहत अधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जिस पर समुचित गौर ना करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। मातहत अधिकारी के द्वारा मिन

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 13.01.2021 को निलंबित किया गया। मिन अपीलान्ट निलबंन आदेश दिनांक 13.01.2021 के पश्चात बार बार मातहत कार्यालय जिला रसद अधिकार के यहाँ अपने निलंबित प्राधिकार को बहाल करने के लिए चक्कर लगाता रहा, लेकिन प्रारम्भ में तो मातहत अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को यह कहा जाता रहा कि 90 दिन पश्चात अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र स्वतः ही बहाल हो जावेगा। परन्तु प्राधिकार पत्र के निलंबन के 90 दिवस अवधि पश्चात भी प्राधिकार पत्र बहाल नहीं किया गया है एवं बेजा रूप से टाल बाल की जाती रही। मिन अपीलान्ट के विरूद्ध की गई प्रथम जांच रिपोर्ट दिनांक 11.11.2017 के आधार पर जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.12.2017 जारी किया जाकर गलत व मनगंढत आधार पर कुल 05 आरोप लगाये गये थे, जिनका विस्तृत जवाब मिन अपीलान्ट द्वारा दिनांक 04.01.2018 को दिया गया था, जिसमें दर्ज किया था कि आरोप सं. 1 केवल प्रकरण बनाने की मंशा के तहत लगाया गया था, जिसका जवाब स्पष्ट दिया गया था कि अपीलान्ट ने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड बनवाया हुआ है जिस पर समस्त जानकारी दर्शाई जाती है। आरोप सं. 2 की बाबत अपीलान्ट ने जवाब में वर्णित किया कि वक्त जांच स्टॉक रजिस्टर घर पर था, तत्समय पेश नहीं कर सका लेकिन बाद में समस्त दस्तावेज स्टॉक रजिस्टर प्रवर्तन अधिकारी को उपलब्ध करा दिया था। आरोप सं. 3 की बाबत अपीलान्ट ने जवाब में वर्णित किया उक्त आरोप गलत है क्योंकि माह अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2016 तक प्रार्थी निलंबित चल रहा था, तत्समय अटैच महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति परसाकाबास के द्वारा ट्रांजेक्शन किये गये जिनसे अपीलान्ट का कोई वास्ता नहीं रहा है। आरोप सं. 4 की बाबत जवाब में वर्णित किया गया था कि स्टॉक पूर्ण था कोई गलत इन्द्राज नहीं किया गया था। प्रकरण बनाने की मंशा से गलत जांच रिपोर्ट पेश की गई थी। आरोप सं. 5 की बाबत जवाब में वर्णित किया था कि उपभोक्ताओं को ट्रांजेक्शन से ही राशन सामग्री वितरित की जाती रही है। मिन अपीलान्ट के विरूद्ध की गई द्वितीय जांच रिपोर्ट दिनांक 05.01.2021 के आधार पर जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.02.2021 जारी किया जाकर गलत व मनगंढत आधार पर कुल 12 आरोप लगाये गये थे, जिनका विस्तृत जवाब मिन अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09.02.2021 को मातहत अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेज पेश किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस में आरोप सं. 1 मृत उपभोक्ता महादेवी व रामचरण गुप्ता को माह मई 2020 में राशन सामग्री प्रदान करने का आरोप वर्णित किया गया जो गलत है। माह मई 2020 में दिनांक 21.04.2020 को हरिओम शर्मा उचित मूल्य दुकान से व दिनांक 19.05.2020 को दाल व गेहूं इलियास खान उचित मूल्य दुकान उक्त दर्ज उपभोक्ताओं के राशन कार्ड पर राशन कार्ड में दर्ज अन्य सदस्य उपभोक्ताओं ने प्राप्त की है। उक्त आरोप निराधार रूप में लगाया गया था। इससे पूर्व जो राशन सामग्री अपीलान्ट से प्राप्त की गई थी, वो राशन कार्ड में उल्लेखित सदस्य उपभोक्ता के द्वारा फिगर प्रिन्ट के माध्यम से प्राप्त की गई है। कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.02.2021 में मिन अपीलान्ट के विरूद्ध गलत आरोप लगाये गये थे। कारण बताओ नोटिस निराधार तथ्यों पर आधारित था, जिसमें प्रकरण बनाने की नियत से चिरंजीलाल पुत्र ओमकार को मृत होना दर्शित किया गया जबकि कथित चिरंजीलाल जीवित है, जिसकी बाबत ग्राम पृथ्वीपुरा निवासियान के द्वारा शपथ पत्र दिया गया है, जिससे स्पष्ट सावित है कि जांच रिपोर्ट व कारण बताओ नोटिस निराधार व असत्य हैं। मातहत अधिकारी के द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 22.07.2021 में यह दर्ज किया है कि अपीलान्ट का प्राधिकार समस्त देनदारियाँ लम्बित रखते हुए निरस्त किया जाता है, जो गलत दर्ज किया गया है क्योंकि जब अपीलान्ट का स्टॉक पूर्ण था, किसी प्रकार का कोई गबन नहीं है, बायोमैट्रिक सत्यापन से उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण

जिला
अलव

किया गया है, जिस कारण से आलोच्य निर्णय में देनदारियाँ लम्बित दर्ज किया जाना न्यायोचित नहीं है, जिस कारण से भी आलोच्य निर्णय अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है। यह है कि जांच रिपोर्ट व कारण बताओ नोटिस में जिन उपभोक्ता के नाम दर्ज किये जाकर प्रकरण बनाया गया है, उन उपभोक्तओं भगवान सहाय सैनी, रामसिंह रैबारी, धर्मचन्द सैनी, चुन्नीलाल जाटव, रामलाल सैनी, कैलाश चन्द सैनी आदि के द्वारा अपीलान्ट की कोई शिकायत नहीं किये जाने, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए जाने, प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा दीगर लाभ एवं स्वयं की उपस्थिति होने के तथ्य जाहिर करते हुए, अशोक कुमार सैनी उचित मूल्य दुकान की वितरण व्यवस्था से संतुष्ट होने के तथ्य जाहिर करते हुए करवाया जाने बाबत स्वयं के पृथक पृथक शपथ पत्र 50–50 रूपये के स्टॉम्प निर्मित किये है, जो अपील हाजा के साथ पेश है, जिससे भी स्पष्ट है कि मातहत अधिकारी के समक्ष मिथ्या व मनगंढत तथ्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट पेश की जाकर प्रकरण निर्मित किया गया था, जिस पर समुचित गौर ना करते हुए मातहत अधिकारी ने आलोच्य निर्णय पारित किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त फरमाया गया है, जो अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है। अपीलान्ट के द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब दिनांक 09.02.2021 के साथ मातहत अधिकारी के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य इस रूप में ग्राम पृथ्वीपुरा के सरपंच द्वारा अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य सामग्री वितरण से संतुष्टि होने, किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने एवं अन्य उपभोक्ताओं के शपथ पत्र पेश किये गये थे, जिन दस्तावेजात पर मातहत अधिकारी ने समुचित गौर नहीं किया, ना ही उनकी बाबत आलोच्य निर्णय में कोई विवेचन ही किया गया है, जिस कारण से भी मातहत अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 22.07.2021 अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016 एवं 05.08.2016 को पॉस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात दिनांक 24.03.2017 को संधोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल पर ओटीपी नम्बर आता है, जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है, जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराईज्ड होने के कारण लेशमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पॉश मशीन से ऑनलाईन वितरण के कारण उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोकता के रजिस्टर्ड मोबाईल पर आ जाने के कारण राशन कार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत आदेश पारित किये गये है। मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 22.07.2021 में अपीलान्ट के विरूद्ध खाद्यान्न की अनियमितता मानी है जबकि उचित मूल्य राशन सामग्री का वितरण बॉयामैट्रिक पॉस मशीन में उपभोक्ता के फिंगर लगाकर या उपभोक्ता के दर्ज मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी नम्बर को पॉस मशीन में दर्ज करने के उपरान्त ही राशन सामग्री का वितरण वर्तमान में किया जाता है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को सही व उचित रूप में राशन सामग्री का वितरण किया गया है जिस कारण से उक्त आरोप निराधार है जिस कारण से पेश अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलान्ट, ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर में उचित मूल्य का दुकानदार है तथा 1/2 भाग ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा में उचित मूल्य की दुकान

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

संचालित करता है, जिसका प्राधिकार पत्र सं. 932/1998 है जो वर्ष 1998 से बिना किसी व्यवधान के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। वर्ष 1998 से मिन अपीलान्ट के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं रही है। मिन अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता की अथवा ग्राम पंचायत सरपंच अथवा पंचायत समिति सदस्य की कोई शिकायत नहीं रही है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ आदेश या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया है जिस कारण से पारित निर्णय दिनांक 22.07.2021 निरस्त फरमाये जाने योग्य है एवं अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलान्ट वर्ष 1998 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलान्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट स्वयं का व अपने परिवार की गुजर बसर करता है। न्यायाहित में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की जानबूझकर किसी प्रकार से भी उल्लघंन नहीं किया गया है एवं ना ही किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई है। इसलिए भी जिला रसद अधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 22.07.2021 काबिल निरस्तनीय है। अपील विरूद्ध जिला रसद अधिकारी, अलवर जिनके द्वारा प्रकरण सं0 20/2017, 03/2021 बअनुवान सरकार बनाम अशोक कुमार सैनी में निर्णय दिनांक 22.07.2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट (पॉस कोड 17829) का प्राधिकार पत्र सं0 932/1998 विधि विरूद्ध निरस्त किया गया है, वो निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0 932/1998 बहाल करते हुए उचित मूल्य दुकान 1/2 भाग, ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेड़ा, अलवर राज0 का उठाव एवं वितरण (सप्लाई) चालू करने का आदेश एवं अन्य न्यायोचित आज्ञा व आदेश जो भी अपीलान्ट के पक्ष में माननीय उचित समझे प्रदान करने की कृपा करें। विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में न्यायालय हाजा का निर्णय दि0 30.04.2024 उनवान भगवान सहाय शर्मा बनाम जिला रसद अधिकारी अलवर की प्रति नजिर स्वरूप पेश की है।

रेस्पोडेंट की ओर से प्रतिनिधि द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के पांच सदस्यीय प्रवर्तन दल द्वारा दिनांक 11.11.2017 को जांच की गई। दौराने जाचं उपभोक्ताओं ने बताया कि वास्तविक रूप से 955 किग्रा गेहूं का वितरण उपभोक्ताओं को नहीं किया गया एवं महत्वपूर्ण है कि भौतिक सत्यापन पर 1465.50 लीटर कैरोसीन तथा 4.49 किग्रा चीनी कम पाई गई। जो गबन की श्रेणी में आता है, जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 तथा उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 1, 8, 11, 17 (सी) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलांट के प्राधिकार पत्र को दिनांक 13.01.2021 को निलम्बित कर दिनांक 04.02.2021 को अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब अपीलांट द्वारा दिनांक 09.02.2021 को पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के पांच सदस्यीय प्रवर्तन दल द्वारा दिनांक 11.11.2017 को जांच की गई। दौराने जाचं उपभोक्ताओं ने बताया कि वास्तविक रूप से 955

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

किग्रा गेहूं का वितरण उपभोक्ताओं को नहीं किया गया एवं भौतिक सत्यापन पर 1465. 50 लीटर कैरोसीन तथा 4.49 किग्रा चीनी कम पाई गई, जो गबन की श्रेणी में आता है तथा यह राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 तथा उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 1, 8, 11, 17 (सी) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि0 22.07.2021 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र विधिनुसार निरस्त किया गया है जिसमें न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 22.07.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर
अलवर (राज0)